

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 24, मंगलवार, शके 1947- जुलाई 15, 2025 Asadha 24, Tuesday, Saka 1947- July 15, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायेँ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 02, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))

Rajkaj 16224040 :—राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के निर्देशानुसार **Consultancy Services for preparation of detailed project report (DPR) including land acquisition for construction of Bandikui bypass Nandera SH-78 to Anantwara Bhandeda border Delhi Mumbai Expressway to Kanch Ki Dhani SH-25 (Sikandra Alwar Megha Highway) approximate length 8.00 Km. (Project cost Rs. 2500.00 Lacs) State of Rajasthan accordance with the Rajasthan as per RFCTLARR (Rajasthan Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rule.) rules 2016** के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील बांदीकुई, जिला-दौसा में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री बजट परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा संख्या 196 के तहत घोषित कार्यो की सैद्धान्तिक सहमति पत्रांक F.7(319)A&F/Sec-II/2024-25/D-933 दिनांक 08/10/2024 है।

जिला	तहसील	गांव	सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
दौसा	बांदीकुई	1. हरिपुरा	उपखण्ड अधिकारी, बाँदीकुई
		2. नंदेरा	
		3. पामाड़ी	
		4. सुनगाड़ी	
		5. अनंतवाड़ा	
		6. आभानेरी	
		7. आमाली	
		8. उनबडागांव	
		9. ढाणी हरिजन	

अतः राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन उक्त भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावित बाईपास के लिए भूमि अवाप्ति ग्राम 1.हरिपुरा, 2. नंदेरा, 3. पामाडी, 4. सुनगाडी, 5. अनंतवाड़ा, 6. आभानेरी, 7.आमाली, 8. उनबडागांव, 9.ढाणी हरिजन तहसील बांदीकुई, जिला दौसा का चयन किया जाना है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगा:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में संबंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।
1. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सिकन्दरा,
जिला-दौसा

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
ए आर इंटरनेशनल कन्सलटेन्सी
रोशन कुमावत
सामाजिक वैज्ञानिक
मोबाईल : 9414876990

सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
बाँदीकुई, दौसा

आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान,
जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।